न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 38/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/48

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री इदरिश पतरावाला पुत्र श्री शाबीर अली जी मैसर्स – मैक्स सुपर मार्केट, मुस्लिम कॉलोनी, बॉसवाडा
2. Aliasgar Mohammed Sanwarwala, m/s - Raj foods, Shop no. 222&223 4th Lane, Crawford Market, Fort, Mumbai -400001
3. Yusuf Mohd Husain, Sarwar food Products, H.no-628, 2nd floor Gala No.mB207 to B211, Rajlaxmi commercial complex, Thane Road, Kalher, Bhiwandi (M.S) 421302

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 29.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 12–08–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 20–01–2021 को 01.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स – मैक्स सुपर मार्केट, मुस्लिम कॉलोनी, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री इदरिश पतरावाला पुत्र श्री शाबीर अली** उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर प्लास्टिक की बोतल में **NATURAL ROCK SALT (Brand-Sarwar)** के 6 पैक मुल प्लास्टिक बोतल रखे जिनमे प्रत्येक बोतल 100–100 ग्राम को आम जनता को विक्रय हेतु पायी गई। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **NATURAL ROCK SALT (Brand-Sarwar) चार पैक मूल प्लास्टिक बोतल वास्ते नमुना जॉच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 220 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की।** जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **चार पैक मूल प्लास्टिक बोतल NATURAL ROCK SALT (Brand-Sarwar)** के प्रत्येक चारो पैक मूल प्लास्टिक बोतल पर लेबल तैयार कर नियमानुसार कोड नं. **W-733** अंकित किया गया। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द कर जाप्ते में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर चौथा भाग जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा को बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/58–59 दिनांक 09.02.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 14 दिनांक 01.02.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया किया गया **NATURAL ROCK SALT (Brand-Sarwar)** Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 & Violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, hence declare Misbranded also under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act-2006 होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 18–08–2021 को दर्ज रजिस्टर कर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1 न्यायालय में उपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 2 व 3 पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। दिनांक 29.11.2021 को अभियुक्तगण सं.2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अभियुक्त सं. 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/58–59 दिनांक 09.02.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोंगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 14 दिनांक 01.02.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया की गई **NATURAL ROCK SALT (Brand-Sarwar)** Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 & Violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, hence declare Misbranded also under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act-2006 होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 का उल्लंघन होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः **NATURAL ROCK SALT (Brand-Sarwar)** Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 & Violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, hence declare Misbranded also under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act-2006 का विक्रय कर विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 का उल्लंघन है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री इदरिश पतरावाला पुत्र श्री शाबीर अली जी मैसर्स – मैक्स् सुपर मार्केट, मुस्लिम कॉलोनी, बॉसवाडा** को 10,000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), **Aliasgar Mohammed Sanwarwala, m/s - Raj foods, Shop no. 222&223 4th Lane, Crawford Market, Fort, Mumbai -400001** को 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), **Yusuf Mohd Husain, Sarwar food Products, H.no-628, 2nd floor Gala No.mB207 to B211, Rajlaxmi commercial complex, Thane Road, Kalher, Bhiwandi (M.S) 421302** को 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:57 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner